



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06082021-228799  
CG-DL-E-06082021-228799

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2934]  
No. 2934]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 6, 2021/श्रावण 15, 1943  
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 6, 2021/SHRAVANA 15, 1943

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2021

का.आ. 3161(अ).—केन्द्र सरकार एतद्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 (1990 का 20) के धारा 3 के अनुसरण में श्रीमती रेखा शर्मा को राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में 07.08.2021 से 3 वर्ष अवधि तक, अथवा 65 वर्ष की आयु तक, अथवा आगामी आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, पुनः मनोनीत करती है।

[फा. सं. रा.म.आ.-20/35/2015-रा.म.आ. प्रशा.]

आशीष श्रीवास्तव, अपर सचिव

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th August, 2021

S.O. 3161(E).—In pursuance of Section 3 of the National Commission for Women Act, 1990 (20 of 1990), Central Government hereby nominates Smt. Rekha Sharma, as Chairperson of the National Commission for Women, for another term of three years w.e.f. 07.08.021, or till the age of 65 years or until further orders, whichever is the earliest.

[F. No. NCW-20/35/2015-NCW ADMN.]

ASHISH SRIVASTAVA, Addl. Secy.